"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 नवम्बर 2003—कार्तिक 23, शक 1925

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/1/2.—श्री एल. एन. सूर्यवंशी, भा.प्र.से. (1992), कलेक्टर, जिला बस्तर को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री बी. एस. अनन्त, भा.प्र.से. (1993), कलेक्टर, जिला जशपुर को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2003

क्रमांक 6887A/4513/21-ब (छ. ग.)2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा श्री बी. एल. साहू, अधिवक्ता, जगदलपुर को दिनांक 31-3-2004 तक की परिवीक्षा अवधि के लिये कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा सत्र खण्ड के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2003

क्रमांक 6911/1808/21-ब (छ. ग.)2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एल. एन. नाग, संयुक्त कलेक्टर, धमतरी को धमतरी जिले में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नियुक्त करता है, और यह निर्देश देता है कि वे उक्त संहिता के अधीन तथा तत्समय प्रदत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला दण्डाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2003

क्रमांक 6992/डी-4294/21-ब (छ. ग.)/03.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी/4997/21-ब/छ.ग./2003, दिनांक 1-8-2003 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 9 सन् 1982) के अध्याय तीन की धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि समिति निम्नानुसार सदस्यों को नामांकित करती है :—

ब-मनोनीत सदस्य

11. अधिवक्ता परिषद् द्वारा नामांकित सदस्य :—

1. श्री शैलेन्द्र दुबे, अधिवक्ता, तारबहार, बिलासपुर
2. श्री रामनारायण व्यास, अधिवक्ता, विवेकानंद नगर, रायपुर

12. राज्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य :—

1. श्री चरण दास महंत, सांसद
2. श्री गणेश शंकर बाजपेयी, विधायक

Raipur, the 30th October 2003

No. 6992/D-4294/XXI-B/C.G./03.—In exercise of the powers conferred by Chapter III Section 4 of the Chhattisgarh Adhivakta Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 9 of 1982) in sequence of this Department Notification No. 4997/1609/21-B/C.G./03, dated 1-8-2003. The State Government hereby nominates the following persons in the Chhattisgarh Advocate Welfare Fund Committee for the purpose of this Act :—

NOMINATED MEMBERS

11. Nominated by the Bar Council

1. Shri Shailendra Dubey - Advocate, Tarbahar Bilaspur.
2. Shri Ramnarayan Vyas - Advocate, Vivekanand Nagar, Raipur

12. Nominated by the State Government

1. Shri Charan Das Mahant - Member of Parliament.
2. Shri Ganesh Shankar Bajpai. - Member of Legislative Assembly.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

क्रमांक 7004/डी-4522/छ.ग./03/21-ब.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अब्दुल हफीज कुरेशी, अधिवक्ता रायपुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट, रायपुर में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 29-2-2004 तक के लिये अथवा फास्ट ट्रेक कोर्ट की समाप्ति तक जो भी अवधि पहले आये, राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2003

क्रमांक 4934/1345/आजाक/2003.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी में अकादमी की पंजीकृत संविधान की धारा 7 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 6 में की गई व्यवस्था के अनुरूप निम्नानुसार पदाधिकारियों को मनोनीत करता है :—

क्रमांक (1)	नाम (2)	पद (3)
1.	श्री अमीर अली अमीर	अध्यक्ष
2.	सुश्री उजमा अख्तर	उपाध्यक्ष
3.	श्री सेमुअल डेनियल शॉक उर्फ शौक जालन्धरी.	उपाध्यक्ष
4.	श्री रजा हैदरी	सदस्य
5.	श्री रउफ परवेज	सदस्य
6.	श्री जफर रउफी	सदस्य
7.	श्री काविश हैदरी	सदस्य
8.	श्री सईद खान	सदस्य
9.	श्री रौनक जमाल	सदस्य
10.	श्री मोहसिन अली सुहैल	सदस्य

2. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के चीफ पेट्रन तथा भारसाधक मंत्री एवं राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग अकादमी के पेट्रन होंगे.

3. अकादमी के उक्त वर्णित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा.

Raipur, the 1st October 2003

No. 4934/1345/TDD/25-1/2003.—In exercise of powers conferred vide section 7 and in accordance with provision contained in section 6 of the registered constitution of Chhattisgarh Urdu Academy, the State Government hereby nominates following members in the said academy :—

Sl. No. (1)	Name (2)	Post (3)
1.	Shri Ameer Ali Ameer	Chairperson
2.	Ms. Ujma Akhtar	Vice-Chairperson
3.	Shri Samuel Daniel Shauq alias Shauq Jalandhari.	Vice-Chairperson
4.	Shri Raza Hyderi	Member
5.	Shri Rauf Parvez	Member
6.	Shri Zafar Raufi	Member
7.	Shri Kawish Hyderi	Member
8.	Shri Sayeed Khan	Member
9.	Shri Rounak Zamal	Member
10.	Shri Mohsin Ali Suhail	Member

2. Chief Minister, Govt. of Chhattisgarh, shall be the Chief Patron and Minister as well as State Minister-in-charge of the Department of ST and SC Development shall be the patrons.

3. Tenure of the aforesaid members of the Academy shall be three years.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिन्ज, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ/11-11/2003/16.—चूंकि उपमहाप्रबंधक आई. बी. पी. कम्पनी लिमि. गोपालपुर कटघोरा, जिला कोरबा के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व जनरल सेक्रेटरी केमिकल्स एम्पलाईज यूनियन मजदूर सभा भवन नन्दिनी रोड, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक उपमहाप्रबंधक आई.बी.पी. कम्पनी गोपालपुर कटघोरा, जिला कोरबा के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किए जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

1. क्या, बी.जी.सी. (बिजनेस ग्रुप केमिकल) को कम्पनी से अलग करने की योजना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां, तो इसका क्या स्वरूप होना चाहिए ?

2. क्या प्रबंधतंत्र का एल. डी. (लार्ज डिमेटर) बारूद का प्रमुख उत्पादन को रोका जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां, तो इसकी क्या योजना होनी चाहिए ?

3. क्या प्रबंधतंत्र का केमिकल डिवीजन ल्यूब के विपणन पर रोक लगाया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां, तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?

4. क्या प्रबंधतत्र का केमिकल डिवीजन को बंद या पृथक् करने की कोशिश किए जाने से सेवा नियुक्तों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ? यदि हां तो इस व्यवस्था का क्या स्वरूप होना चाहिए ?

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ 11-11/03/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि कोरबा के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसिलियेटर) को निर्दिष्ट जनरल सेक्रेटरी केमिकल्स एम्पलाईज यूनियन मजदूर सभा भवन नन्दिनी रोड भिलाई एवं उपमहाप्रबंधक आई.बी.पी. कम्पनी लिमि. गोपालपुर, कटघोरा, जिला कोरबा के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विवाद के संबंध में समझौता नहीं हो सका.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 3/म. प्र. आई. आर./2000

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ 11-7/2003/16.—छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (1958 का क्रमांक 25) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि इसके पूर्व दिए गए आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी आदेश तक लोक हित को दृष्टिगत करते हुए अनुसूची के स्तंभ 1 में दर्शाए गए स्थापना को अत्यावश्यक सेवा मानकर इस अधिनियम की धारा जो स्तंभ क्र. 2 में दर्शाया गया है, स्तंभ 3 में निर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे.

अनुसूची

संस्थानों का वर्ग (1)	अधिनियम की धारा (2)	शर्तें (3)
लिक्विड पेट्रोलियम गैस की वितरण संस्थानें (मिट्टी तेल वितरण संस्थानों इसमें सम्मिलित नहीं होंगे)	धारा 13 (1) एवं (3)	प्रत्येक सेवायुक्त को सवैतनिक सेवा साप्ताहिक अवकाश देना होगा.

यह अधिसूचना उस तिथि से प्रभावशील होगा जिस तिथि को यह राजपत्र में प्रकाशित होगा एवं यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 18 सितम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 148/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बड़ेदेवगांव	3.544	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक-4, डभरा.	टर्न की पद्धति से कुरदा वितरक नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 23 अक्टूबर 2003

प्र. क्र./1 अ-82/वर्ष 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	कवर्धा	0.23	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि., कवर्धा.	कवर्धा बायपास मार्ग निर्माण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, दिनांक 1 अगस्त 2003

क्रमांक 4961/भू-अर्जन/02/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

(ख) तहसील-दन्तेवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम-कुम्हाररास, प.ह.नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.639 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
184/5	0.040
184/2 ख	0.729
184/23 घ	0.486
184/23 ग	0.364
184/23 क	0.202
184/22	0.182
173, 174, 180, 190, 191/1	0.040
173, 174, 180, 190, 191/2	0.048
173, 174, 180, 190, 191/3	0.270
175	0.061
172	0.081
168, 169, 179	0.299
166	0.024
184/27 क	0.162
184/24	0.550
184/1 छ	0.162
184/1 ख	0.210
129	0.081
184/1 ज	0.121
133/2	0.526
योग	4.639

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-कुम्हार-रास जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 30 अक्टूबर 2003

क्र. 1579/अ-82/सन् 03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-मोहदीपाट, प. ह. नं. 02

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.90 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
209/1	0.30

(1)	(2)
209/3	0.05
209/4	0.30
205	0.05
208	0.22
202/1	0.15
202/2	0.05
212/2	0.15
204	0.35
206	0.30
197/1	0.30
197/2	0.35
197/3	0.22
198	0.06
188/3	0.22
192/2	0.18
189/4	0.30
189/5	0.05
189/7	0.10
161/6	0.60
161/2	0.05
161/5	0.15
189/8	0.40
योग 23	4.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 अक्टूबर 2003

क्र. 1581/अ-82/सन् 03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-बघेली, प. ह. नं. 02

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.96 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
736/10	0.25
674	0.10
676	0.12
65/13	0.25
382/4	0.20
382/15	0.06
690/1	0.55
690/4	0.45
690/5	0.80
272	0.02
230/4	0.20
382/7	0.50
690/3	0.24
678/1	0.35
681	0.22
382/14	0.01
682	0.38
686	0.10
687	0.05
688	0.40
204	0.15
203	0.02
689	0.10
310	0.04
382/2	0.20
690/2	0.08
382/5	0.28
309	0.20
308	0.20
291	0.05
292	0.05
293	0.05

(1)	(2)
294	0.05
295	0.15
296	0.05
299	0.01
283	0.15
284	0.06
270	0.12
271	0.12
268	0.01
267	0.04
266	0.06
265	0.06
169	1.20
256	0.08
255	0.04
230/4	0.05
230/6	0.20
230/5	0.30
168	0.15
166	0.02
65/1	0.22
65/2	0.22
177	0.80
178	0.22
60	0.01
59	0.30
735	0.60
योग 59	11.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है..

दुर्ग, दिनांक 30 अक्टूबर 2003

क्र. 1577/अ-82/सन् 03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-माहुद, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.03 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1288/1	0.60
959	0.30
1275	0.45
1270	0.35
1269	0.70
961	0.10
960	0.28
958	0.30
957	0.70
956	0.15
946	0.40
945	0.45
941	0.30
911	1.00
914	0.20
907	0.40
887	0.45
888	0.20
886/2	0.30
885/1	0.40
884	0.40
883	0.60
योग 22	9.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 अक्टूबर 2003

क्र. 1578/अ-82/सन् 03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-गब्दी, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.55 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
473	0.08
472	0.20
470	0.20
469	0.08
468	0.08
447/1	0.10
446	0.15
445	0.13
444	0.08
440	0.45
योग 10	1.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 अक्टूबर 2003

क्र. 1580/अ-82/सन् 03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-मटेवा, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.71 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
75	0.95
66	0.05
351	0.16
64	0.35
130	0.30
149	0.70
65	0.06
59/2	0.22
638/6	0.12
638/1	0.01
58	0.20
54	0.30
50/7	0.20
50/5	0.05
55	0.08
114/3	0.22
115	0.20
114/1	0.02
114/2	0.12
113	0.12
117	0.02
132	0.01
611	0.15
131/2	0.10
140	0.28
137	0.12
150	0.12
330	0.15
349	0.18
747	0.20
350	0.02
748	0.15
352	0.05

(1)	(2)
337	0.12
339	0.10
338	0.12
331	0.06
752	0.02
753	0.22
754/2	0.10
754/3	0.25
603	0.20
626	0.15
631	0.02
755/1	0.15
759	0.10
581	0.25
594	0.15
586	0.10
604	0.02
585	0.12
595	0.12
596	0.20
606	0.30
600	0.02
605	0.12
602	0.05
612	0.18
621	0.15
623	0.01
627	0.08
625	0.13
632	0.20
634	0.12
638/7	0.15
638/5	0.10
638/3	0.20
638/2	0.25
185	0.10
योग 68	10.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 31 जुलाई 2003

रा. प्र. क्र. 04/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सामरी (कुसमी)
- (ग) नगर/ग्राम-करमी उरॉव टोली,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.383 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
513/2	0.049
517	0.032
513/5	0.081
458	0.073
515	0.283
552	0.162
512/2	0.101
509/2	0.065
553	0.243
551	0.081
512/1	0.101
461/2	0.113
योग 12	1.383

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-डीपाडीहकला कोठली मार्ग पर गलफुल्ला सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 जुलाई 2003

रा. प्र. क्र. 05/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-कुसमी
- (ग) नगर/ग्राम-डीपाडीहकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.266 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	904	0.025
	902	0.077
	899	0.101
	903	0.024
	900	0.040
योग	5	0.266

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-डीपाडीहकला कोठली मार्ग पर गलफुल्ला सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 जुलाई 2003

रा. प्र. क्र. 06/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-पाल
- (ग) नगर/ग्राम-रामपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.720 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	5	0.340
	26	0.040
	11	0.030
	29	0.030
	10	0.280
योग	5	0.720

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रामानुजगंज-वाड्रफ नगर सेन्दूर सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 जुलाई 2003

रा. प्र. क्र. 09/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-पाल
- (ग) नगर/ग्राम-पचावल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.744 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	157	0.121
	1118	0.023
	159	0.178
	262/2	0.340
	156	0.302
योग	5	0.744

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सनावल पचावल मार्ग पर पागम सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 29 सितम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 116/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-घघरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.490 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
118/3	0.129
159/2	0.008
157	0.113
159/3	0.049
194	0.081
195	0.040
193/5, 158	0.016
217/7	0.024
217/8	0.053
196/1	0.053
196/2	0.040
198/1	0.344
219/1	0.364
196/3	0.045
217/5	0.049
219/6, 7	0.053
218/2	0.117
218/3	0.279
218/4, 5	0.121
239/1	0.040
239/2	0.061
238	0.028
240	0.016
242	0.109
237	0.020
236	0.073
235/1	0.020
266/2	0.020
267	0.036
268	0.040
269	0.089
282/1	0.012
282/6	0.024
282/2	0.129
282/5	0.028
283/7	0.061
282/8	0.016
283/1	0.105
283/3	0.065
378/6	0.227
381/1	0.036

(1)	(2)
381/2	0.049
378/3	0.081
121/1	0.077
118/7	0.081
114/1, 115/1, 116/1	0.040
116/2	0.121
121/2	0.085
121/5	0.028
121/3	0.045
218/6	0.028
218/3	0.028
229	0.154
228	0.016
227/1	0.040
38/2	0.231
226/1	0.008
37/1	0.004
37/3, 4	0.142
2/1, 2/2, 3/1| 17	0.142
2/1, 2/2, 3/1| 11	0.203
2/1, 2/2, 3/1| 9	0.073
2/1, 2/2, 3/1| 8	0.008
2/1, 2/2, 3/1| 12	0.203
2/1, 2/2, 3/1| 14	0.020
2/1, 2/2, 3/1| 5	0.203
2/1, 2/2, 3/1| 13	0.057
2/1, 2/2, 3/1| 10	0.049
योग 64	5.490

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से कुरदा शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 सितम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 119/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-हालाहुली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.479 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
146/2	0.198
145	0.012
149/2	0.243
150, 151| 1	0.032
150, 151| 2	0.122
150, 151| 3	0.045
166/2	0.004
166/3	0.089
166/1	0.073
170/2	0.008
169	0.016
172/2	0.093
172/1	0.130
171/2	0.012
174	0.004
173	0.049
176/2	0.113
175/1	0.012
176/1 क	0.053
178	0.085
179	0.004
88/1	0.028
88/2	0.061
88/4	0.040
88/7	0.081
87	0.162
81	0.203
86/2	0.061
80/3	0.077
199/2	0.028
200/2	0.049
201/2	0.085
200/1	0.016

(1)	(2)
201/1	0.057
201/3	0.065
202/1	0.008
131/1	0.061
योग 37	2.479

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से कुरदा शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 सितम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 137/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-पुरेना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.250 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
27/4	0.186
27/7	0.073
27/6	0.101
27/2	0.036
26/2	0.142
114/3	0.146
26/3	0.101
114/5	0.146
26/1	0.105
19/1	0.364
117/2	0.077
22/4	0.040
29/21	0.089
29/2	0.093
116/5	0.020
22/3	0.032
116/6	0.016
21/3	0.020
21/2	0.020
17/1	0.182
123/1	0.061
123/2	0.061
17/3	0.061
14/2	0.045
14/1	0.097
14/5	0.101
13/1	0.101
12/1	0.061
12/3	0.036
10/8	0.065
10/4	0.053
29/22	0.049
29/24	0.065
29/13	0.113
29/8, 9	0.004
47/1	0.364
45	0.073
117/1	0.049
116/8	0.036
123/3	0.069
114/2	0.125
147/2	0.587
111/1	0.170
111/3	0.125
110/2	0.008
111/4	0.028
111/2	0.049
110/3	0.117
109/3	0.097
108/2	0.024
109/5	0.012
27/3	0.069
27/5	0.016

(1)	(2)
27/4	0.016
26/3	0.109
25/10	0.028
25/15	0.004
25/11	0.036
25/12	0.077
योग 59	5.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से कुरदा शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 नवम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-घरघोड़ा
(ग) नगर/ग्राम-तुमीडीह एवं पूंजीपथरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-तुमीडीह-131.932 हेक्टेयर
पूंजीपथरा-95.118 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
तुमीडीह	
305/1	1.506
336	1.092
384	1.019
367	1.918
291	0.761
389	1.084
408	5.937
292	0.328
298	0.441
295	1.424
300/1	5.196
296	0.833
320	0.433
374	0.567
318	0.502
335	2.736
340	0.376
402	3.493
401	1.129
406	3.840
332	0.983
379	0.785
398	0.579
396	0.789
304	0.644
309	3.169
313	1.777
337	2.654
310	3.157
315	4.957
339	1.019
369	0.829
372	0.223
390	2.020
303	0.607
322	0.652
333/1	0.515
365/3	0.049
400/1	0.372
400/8	0.324
314/5	0.138
314/7	0.324
314/8	0.527
400/3	0.243
400/6	0.146
338/1	0.802

(1)	(2)
312	11.683
370/1	0.613
399/1	1.087
314/1	0.380
314/4	0.231
376/4	0.121
407/3	0.749
342/3	0.121
366/1	0.405
404	0.072
407/9	0.162
391/1	2.905
397	2.759
386/2	0.181
407/4	0.749
407/7	0.384
410/2	0.405
338/3	0.162
376/2	0.283
333/2	0.500
334	1.197
370/2	0.613
399/2	1.187
370/3	0.612
331/1	0.141
367/2	0.085
378	2.246
380	1.582
301/1	1.424
302/1	0.518
294	0.470
392	5.368
399/3	1.187
377	3.213
290	0.101
371	0.498
373	0.510
400/9	0.304
365/4	0.057
395	0.721
289	0.194
316	3.950
314/9	0.787
400/2	0.372
386/1	0.688
366/2	0.202
282	0.470
307	2.890
314/6	0.049
385	0.729
400/5	2.181
409/1	1.238
400/4	0.283
407	0.178
381	2.327
393	0.425
317	1.627
योग 105	130.657

पूंजीपथरा

(1)	(2)
187	0.750
189	0.280
212/1	0.688
192/1	0.230
190	0.430
191	3.040
195/9	0.030
195/10	0.930
195/14	0.140
195/17	0.405
195/1	0.303
215	1.840
216/4	0.607
195/16	0.100
195/19	0.133
195/3	0.303
195/4	0.280
195/12	0.930
195/15	0.200
195/18	0.101
216/3	0.405
216/8	1.213
195/5	0.080
195/6	0.930

(1)	(2)
195/8	0.080
195/13	0.930
218	0.840
220/1	1.000
220/3	0.702
220/5	1.000
221/2	0.498
220/2	1.257
220/4	0.405
221/1	0.405
221/3	0.933
222	2.080
234	5.950
224	2.020
172/10	0.987
172/4	2.174
172/27	0.721
172/30	3.000
172/2	0.502
172/5	0.607
172/7	0.987
172/9	0.987
172/20	0.202
172/29	0.500
172/30	0.500
172/3	0.503
172/6	1.959
216/6	1.252
172/14	0.987
172/15	0.987
172/16	1.000
172/17	1.000
172/18	0.607
172/28	1.000
172/23	0.561
172/32	0.549
172/11	0.890
225	2.020
226	2.020
239	0.820
195/20	0.200
172/22	0.607
172/19	1.000

(1)	(2)
172/21	0.607
172/25	0.464
212/2	0.910
216/2	1.309
212/4	1.040
208	1.790
195/2	0.303
195/7	0.101
195/11	0.930
216/1	0.405
211	0.980
193	0.200
216/7	2.024
206	0.470
209	0.500
210	0.820
172/1	0.502
216/5	0.608
165	0.870
172/8	0.987
166	1.770
172/12	2.174
172/13	2.205
172/24	0.607
172/26	0.407
172/28	0.881
163	0.790
192/2	0.230
212/3	1.327
योग	88.082

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-औद्योगिक परिक्षेत्र हेतु भूमि अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.